

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी: श्रीमती रीना, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 46/2024

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

-विक्रेता व मालिक -

1. श्री पूर्ण प्रकाश जनवेजा पुत्र श्री जस्सुराम जनवेजा
निवासी वार्ड नं. 10, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर।
मै० दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी, एस डी-4ए, कबीर मार्ग, बनी पार्क, जयपुर।
अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51


निर्णय

दिनांक: 09.12.2024

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांक:- आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है।

आवेदक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.07.2024 को समय 04.00 पीएम बजे मै० दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी, एस डी-4ए, कबीर मार्ग, बनी पार्क, जयपुर के हाल किराए के गोदाम 22-इन्डस्ट्रीयल ऐरिया, कृष्णा टाकिज रोड, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर श्री पूर्ण प्रकाश पुत्र श्री जस्सुराम जनवेजा (विक्रेता व मालिक) को अपना परिचय देकर संस्थान का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थ घी(अमृत ब्राण्ड) के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने 10 कार्टुन के अंदर 120 पीस 1-1 लीटर, 09 कार्टुन के अन्दर 500-500 मिली(449 ग्राम), 5 कार्टुन में 200-200 मिली के 300 पीस व 15 किलोग्राम के 01 नग टीन को आमजन में विक्रय वास्ते होना बताया। मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते घी(अमृत ब्राण्ड) का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री पूर्ण प्रकाश जनवेजा पुत्र श्री जस्सुराम जनवेजा (विक्रेता एवं मालिक) एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति श्री पूर्ण प्रकाश जनवेजा पुत्र श्री जस्सुराम जनवेजा (विक्रेता एवं मालिक) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।


अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध घी(अमृत ब्राण्ड) में से 500 मिली(449 ग्राम) के मूल चार शील्ड जार पैक को विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा घी(अमृत ब्राण्ड) का नगद भुगतान 700/- रुपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी(अमृत ब्राण्ड) को मूल चार जार पैक कर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के-2387 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप के-2387 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री पूर्ण प्रकाश जनवेजा पुत्र श्री जस्सुराम जनवेजा (विक्रेता व मालिक) एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। नमूना लेने के पश्चात् शेष माल को सीजर मेमो 2 को तैयार कर सीज किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:L.S./862/Act/2024/862 Dated 24-07-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना K-2387 Sub-Standard Food होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री पूर्ण प्रकाश जनवेजा पुत्र श्री जस्सुराम जनवेजा मै0 दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी, एस डी-4ए, कबीर मार्ग, बनी पार्क, जयपुर द्वारा अमानक स्तर का घी(अमृत ब्राण्ड) विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 20.12.2024 को प्रस्तुत किया गया।



(Signature)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी वार्ड नं. 10 सूरतगढ़, श्रीगंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म मै. दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी एसडी 4 ए कबीर मार्ग, बनी पार्क, जयपुर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 24/1838 दिनांक 19.11.2024 का दिया है कि आपकी दुकान में घी की जांच की गई तो घी सब स्टेडर्ड फूड होना पाया गया। प्रार्थी ने उक्त घी में सुधार कर लिया है, भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। आपकी अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया घी(अमृत ब्राण्ड) का सैम्पल K-2387 जांच रिपोर्ट क्रमांक:- L.S./862/Act/2024/862 Dated 24-07-2024 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त घी में सुधार कर लिया है, भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Ghee" bearing Code No and Sr. No. K-2387, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contains foreign fat (fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee.) The sample also contravenes Regulation No. 2.3.7.(2) of Food Safety and (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 due to presence of foreign fat.की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।



(Signature)
अति० जिला कलेक्टर (प्रशासक)
श्रीगंगानगर

फलस्वरूप अभियुक्त श्री पूर्ण प्रकाश जनवेजा पुत्र श्री जस्सुराम जनवेजा मै0 दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी, एस डी-4ए, कबीर मार्ग, बनी पार्क, जयपुर एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाए जाते हैं। फलतः अभियुक्त श्री पूर्ण प्रकाश जनवेजा पुत्र श्री जस्सुराम जनवेजा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 25,000-00 (अखरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten signature)

(रीना)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा०)
अतिरिक्त श्रीगंगानगर। टि. (प्रशा०)
श्रीगंगानगर